गुड़ामालानी

23/05/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजकर पोस्ट ट्रैकिंग की डिलेवरी रिपोर्ट पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी से बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्याः 65/2023

प्रार्थीगण :–

1. देराजराम पुत्र कानाराम
   जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गुलाबाराम पुत्र भागचंद
2. बुधराम पुत्र केसाराम
3. भेराराम पुत्र भागचंद
4. रूपाराम पुत्र केसाराम
5. लाधूराम पुत्र भागचंद
6. सदराम पुत्र भागचंद
7. सोमी पत्नी केसाराम
8. रिडमलराम पुत्र मोबताराम
9. हीराराम पुत्र मोबताराम
10. मंगलाराम पुत्र हरींगाराम
11. सुजाराम पुत्र हरींगाराम
12. हनुमानराम पुत्र हरींगाराम
13. हरींगाराम पुत्र मोबताराम जाति विश्नोई
14. नारणाराम पुत्र खेताराम
15. पताराम पुत्र खेताराम
16. भीखाराम पुत्र खेताराम
17. मांगाराम पुत्र खेताराम
18. भलाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल
19. मेघराम पुत्र हरचंद
20. पदमोदेवी पत्नी अरजनराम
21. बाबूलाल पुत्र अरजनराम
22. नेनू पत्नी अमराराम
23. रेखाराम पुत्र अमराराम
24. लाखाराम पुत्र अमराराम
25. दुर्गाराम पुत्र ताजाराम
26. खेमाराम पुत्र चेतनराम
27. अणदी पत्नी अमराराम
28. केशाराम पुत्र फूसाराम
29. खरथाराम पुत्र अमराराम
30. खेराजराम पुत्र अमराराम
31. चूनाराम पुत्र अमराराम
32. चिमना पुत्र वरजांगा
33. झीमोदेवी पत्नी फूसाराम
34. पाबूराम पुत्र अमराराम
35. भूराराम पुत्र अमराराम
36. विशनाराम पुत्र फूसाराम
37. सोनाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी मौखावा
38. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.05.2023

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से रथाई सरहद मौजा मौखावा पटवार क्षेत्र मौखावा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 212/3, 226/8, 250/1 रकबा क्रमशः 14. 0830, 0.5180, 1.0198 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारो की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र मौखावा के राजस्व ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर 212/3, 226/8, 250/1 रकबा क्रमशः 14.0830, 0.5180, 1.0198 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/5/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 661 दिनांक : 23/5/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

देराजराम गुलाबाराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......65 / 2023.. निर्णय दिनांक :– 23.05.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मौखावा के खेत खसरा नम्बर 212 / 3, 226 / 8, 250 / 1 रकबा कमशः 14.0830, 0.5180, 1.0198 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....गुड़ामालानी.. ...को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....1000 / –...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 23/5/23

कमांकः वाद / 2023 / 602-603
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी....मौखावा.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण करा हेतु।
4. प्रार्थीगण.........देराजराम पुत्र कानाराम
5. विप्रार्थीगण.....गुलाबाराम वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी